सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

No. F 5(282)/DoIT/Tech/06/Pt.1/I/16733/2014 जयपुर, दिनांक :– 25/02/2014

परिपत्र

पूर्व में जारी परिपत्र संख्या F5(282)/DoIT/Tech/06/2269 दिनांक 18.12.2006 के अधिक्रमण में जिन सरकारी कार्यालयों में इन्टरनेट की अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे समस्त कार्यालयों में बी.एस.एन. एल. के ब्रोडबैण्ड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, यह सुविधा निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध होगी: –

1. एक कार्यालय के लिये केवल एक ही ब्रोडबैण्ड कनेक्शन लिया जायेगा। प्रारंभिक तौर पर 2 Mbps से 8 GB का प्लान, 8 GB से अधिक पर 512 Mbps बैंडविड्थ का प्लान (वर्तमान में प्लान –900 अर्थात 900 रूपये प्रतिमाह का प्लान)
2. कुछ स्थानों पर तकनीकी कारणों या उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण BSNL की ब्रोडबैण्ड सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थानों पर BSNL की FTTH (Fibre to the Home) सुविधा जो कि ब्रोडबैण्ड के प्लान –900 की दरों के समान प्लान दरों पर उपलब्ध होगी, का उपयोग किया जा सकता है। यदि FTTH सुविधा ली जाती है तो उसका भुगतान ब्रोडबैण्ड के अनुमोदित प्लान से अधिक न किया जावे।
3. उच्च बैडविड्थ प्लान के लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अनुमोदन/मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।
4. कोई भी सरकारी कार्यालय पूर्व में अनुमोदित BSNL के प्लान–700 का उपयोग नहीं करेगा। यदि कार्यालय में सेकलेन/राजस्वान कनेक्टिविटी उपलब्ध है तो कार्यालय इनका उपयोग करेगा अन्यथा प्लान 900 का उपयोग करेगा।
5. किसी विभाग/कार्यालय में जब कभी भी सेकलेन/राजस्वान द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जायेगी, तब BSNL का ब्रोडबैण्ड कनेक्शन तुरंत प्रभाव से समाप्त करना होगा। यह सुनिश्चित करना संबंधित विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
6. ब्रोड बैण्ड कनेक्शन के लिये अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान नहीं किया जायेगा। ब्रोडबैण्ड इन्टरनेट सुविधा पर होने वाला व्यय विभाग के कार्यालय व्यय मद से भरित होगा।
7. क्षेत्रीय/जिला स्तर के कार्यालयों में इस सुविधा का उपयोग संबंधित विभागाध्यक्ष के विशेष अनुमोदन के पश्चात् ही किया जायेगा।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101400327 दिनांक 17.02.2014 द्वारा अनुमोदित है।

आज्ञा से,
(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य सचिव, राजस्थन सरकार, जयपुर
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार, जयपुर
5. समस्त जिला कलैक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. निदेशक (बजट) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. DGM (IT&BD) CGMT कार्यालय, BSNL, जयपुर को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु।

(ए.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855, Fax : 0141-2222011